न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

मिसल सं0 140/2019 GCMS:-2019/00222 दायर तारीख 15–10–2019

1– सुखदेवसिह पुत्र श्री दर्शनसिह
2– सतनामसिह पुत्र श्री शमिन्द्रसिह
} अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादीगण

बनाम

1–नानूराम पि0मु0 बीरबल जाति ब्राहम्ण साकिन ढाबाझालार तहसील सूरतगढ
2–निरंजनसिह पुत्र श्री लालसिह
3–मुख्त्यारसिह पुत्र श्री लालसिह
4–तोतासिह पुत्र श्री लालसिंह
} अकवाम जटसिख साकिनान ढाबाझालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–सुरजा पुत्र श्री चौखा
6–धर्मदत पुत्र श्री मलू
7–नेतराम पुत्र श्री मलू
8–श्रीकृष्ण पुत्र श्री मलू
9–मु0 भीखी बेवा धन्ना
10–मु0 सावित्री बेवा मनीराम
} अकवाम ब्राहम्ण साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

11–शाखा प्रबन्धक महोदय और एम जी बी बैक शाखा ढाबा झालार
12–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 ,53, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजाराम भादू , राजवीर भादू एडवोकेट वादीगण ।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– **निर्णय** –:– दिनांक :– 27/10/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीगण , एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं0 5 ता 8 एव ग्यारसी राम वल्द हरजीराम , मु0 अन्नी वेवा बस्ती , सहीराम ,लेखराम, सुगनीराम , मोतीराम पिसरान श्री हरचन्द , सुरजा वल्द चोखा , नानू पि0मु0 बीरबल, मु0 भीखी बेवा धन्ना, तेजा – मनीराम पिसरान चोखाराम , मु0 विमला बेवा कानाराम के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 12 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 9 के प0 नं0 15/287 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 14–10बीघा एवं पं0 नं0 15/288 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 11/5–19बीघा , तथा 0–14बीघा गैर मु0 खाला कुल तादादी 21–03बीघा कमाण्ड खातेदारी एवं वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 4 पं0 नं0 16/287 मु0 नं0 49 के किला नं0 1 ता 25/23–15बीघा , पं0 नं0 16/288 मु0 नं0 50 के किला नं0 1 ता 15/14–11बीघा व 0–10बीघा खाला व 1–04बीघा रास्ता कुल तादादी 40–00बीघा राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एल के एस के खाता संख्या 51/45 के प0 नं0 15/287 मु0 नं0 38 किला नं0 18–19, 21 ता 23/1.265 हे0 व पं0 नं0 15/288 मु0 नं0 39 के किला नं0 1 ता 3,

––– 2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:14:32 IST
Reason: SelfAttested

8 ता 10/1.518 हे0 कुल तादादी 2.783 हे0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादीगण ने उक्त जैरवाद रकबा संयुक्त खाते के कास्तकार भजनलाल वल्द इन्द्रसिह से जरिये बैयनांमा द्वारा 2.619 हे0 रकबा खरीद किया तथा भजनलाल ने उक्त रकबा संयुक्त खाते के कास्तकार लेखराम , सहीराम , सुगनाराम , गोपीराम पिसरान श्री हरचन्द व विमला बेवा कानाराम से जरिये बैयनांमा द्वारा खरीद किया गया है । वादीगण के नाम उक्त खातेदारी भूमि इन्तकाल सं0 252 दिनांक 05-02-2016 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है । जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक तरीके से कास्त करते आ रहे है । जैरवाद रकबा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व अन्य कास्तकारो के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 12 एल के एस एवं 13 एल के एस में थी । जो 12 एल के एस की भूमि वर्तमान में चक 13 एल के एस में पैमूद हो चुकी है। प्रतिवादी नं0 1 नानूराम ने जरिये बेयनांमा द्वारा उक्त रकबा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को बैयनांमा करवा दिया गया तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के नाम उक्त रकबा जैरवाद भूमि से खाता अलग होकर वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 36/37 में पैमूद हो चुका है । इसके बावजूद भी खाता सं0 51/45 में से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन नही होने के कारण खाते का मिलान नही हो पा रहा है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे । जैरवाद रकबा प्रतिवादीगण एवं अन्य संयुक्त खातेदारो द्वारा चक 12 एल के एस एवं 13 एल के एस में कुल तादादी 61-03 बीघा अर्थात 15.472 हे0 भूमि में अपने हिस्से के रकबा का बेचान किया गया जिसके अनुसार उक्त संयुक्त खाते की भूमि खरीददारो के नाम अलग-2 खाते में वाके चक 13 एल के एस में क्रमशः खाते नं0 51/45 - 80/73 - 34/81 - 24/21 - 32/52 - 67/59 में राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाते वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 51/45 में 2.783 हे0 भूमि में वादीगण का 2.619 हे0 रकबा के पश्चात शेष 0.164 हे0 रकबा जमाबन्दी में शेष बचता है । जबकि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा बेचान होने के पश्चात भी उनके रकबा को राजस्व रिकार्ड में कम नही किया गया जिसके मुताबिक प्रतिवादी नं0 6 ता 8 के नाम 0.100 हे0 व प्रतिवादी नं0 9 के नाम 0.020 हे0, एवं प्रतिवादी नं0 10 के नाम 0.044 हे0 रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसील स्तर पर सेग्रीग्रेशन व DILRMP की कार्यवाही चलने के दौरान खातो का मिलान करते वक्त उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज - खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय- 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण चक 13 एल के एस के खाते की दुरूस्ती एवं खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया ।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । सम्मन अदम तामिल आने के पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी अखवार साया के द्वारा करवाई गई । इसके पश्चात भी प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण किसी प्रकार

--- 3 पर लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:14:32 IST
Reason: SelfAttested

का कोई जबाब नही आने के कारण तनकी कायम नही की गई । पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये ।

इसके पश्चात वादीगण एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 5 ता 8 एव ग्यारसी राम वल्द हरजीराम , मु0 अन्नी वेवा बस्ती , सहीराम ,लेखराम, सुगनीराम , मोतीराम पिसरान श्री हरचन्द , सुरजा वल्द चोखा , नानू पि0मु0 बीरबल, मु0 भीखी बेवा धन्ना, तेजा – मनीराम पिसरान चोखाराम , मु0 विमला बेवा कानाराम के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 12 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 9 के प0 नं0 15/287 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 14–10बीघा एवं पं0 नं0 15/288 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 11/5–19बीघा , तथा 0–14बीघा गैर मु0 खाला कुल तादादी 21–03बीघा कमाण्ड खातेदारी एवं वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 4 पं0 नं0 16/287 मु0 नं0 49 के किला नं0 1 ता 25/23–15बीघा , पं0 नं0 16/288 मु0 नं0 50 के किला नं0 1 ता 15/14–11बीघा व 0–10बीघा खाला व 1–04बीघा रास्ता कुल तादादी 40–00बीघा राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 13 एल के एस के खाता संख्या 51/45 के प0 नं0 15/287 मु0 नं0 38 किला नं0 18–19, 21 ता 23/1.265 हे0 व पं0 नं0 15/288 मु0 नं0 39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10/1.518 हे0 कुल तादादी 2.783 हे0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादीगण ने उक्त जैरवाद रकबा संयुक्त खाते के कास्तकार भजनलाल वल्द इन्द्रसिह से जरिये बैयनांमा द्वारा 2.619 हे0 रकबा खरीद किया तथा भजनलाल ने उक्त रकबा संयुक्त खाते के कास्तकार लेखराम , सहीराम , सुगनाराम , गोपीराम पिसरान श्री हरचन्द व विमला बेवा कानाराम से जरिये बैयनांमा द्वारा खरीद किया गया है । वादीगण के नाम उक्त खातेदारी भूमि इन्तकाल सं0 252 दिनांक 05–02–2016 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है । जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक तरीके से कास्त करते आ रहे है । जैरवाद रकबा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व अन्य कास्तकारो के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 12 एल के एस एवं 13 एल के एस में थी । जो 12 एल के एस की भूमि वर्तमान में चक 13 एल के एस में पैमूद हो चुकी है। प्रतिवादी नं0 1 नानूराम ने जरिये बेयनांमा द्वारा उक्त रकबा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को बैयनांमा करवा दिया गया तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के नाम उक्त रकबा जैरवाद भूमि से खाता अलग होकर वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 36/37 में पैमूद हो चुका है । इसके बावजूद भी खाता सं0 51/45 में से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन नही होने के कारण खाते का मिलान नही हो पा रहा है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे । जैरवाद रकबा प्रतिवादीगण एवं अन्य संयुक्त खातेदारो द्वारा चक 12 एल के एस एवं 13 एल के एस में कुल तादादी 61–03 बीघा अर्थात 15.472 हे0 भूमि में अपने हिस्से के रकबा का बेचान किया गया जिसके अनुसार उक्त संयुक्त खाते की भूमि खरीददारो के नाम अलग–2 खाते में वाके चक 13 एल के एस में कमशः खाते नं0 51/45 – 80/73 – 34/81 – 24/21 – 32/52 – 67/59 में राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाते वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 51/45 में 2.783 हे0 भूमि में

--4 पर लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:14:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का 2.619 हे0 रकबा के पश्चात शेष 0.164 हे0 रकबा जमाबन्दी में शेष बचता है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा बेचान होने के पश्चात भी उनके रकबा को राजस्व रिकार्ड में कम नही किया गया जिसके मुताबिक प्रतिवादी नं0 6 ता 8 के नाम 0.100 हे0 व प्रतिवादी नं0 9 के नाम 0.020 हे0, एवं प्रतिवादी नं0 10 के नाम 0.044 हे0 रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसील स्तर पर सेग्रीग्रेशन व DILRMP की कार्यवाही चलने के दौरान खातो का मिलान करते वक्त उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण चक 13 एल के एस के खाते की दुरूस्ती एवं खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । मुताबिक जमाबन्दी जैरवाद रकबा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व अन्य कास्तकारो के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 12 एल के एस एवं 13 एल के एस में थी । जो 12 एल के एस की भूमि वर्तमान में चक 13 एल के एस में पैमूद हो चुकी है। प्रतिवादी नं0 1 नानूराम ने जरिये बेयनांमा द्वारा उक्त रकबा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को बैयनांमा करवा दिया गया तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के नाम उक्त रकबा जैरवाद भूमि से खाता अलग होकर वाके चक 13 एल के एस के खाता सं0 36/37 में पैमूद हो चुका है । इसके बावजूद भी खाता सं0 51/45 में से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन नही होने के कारण खाते का मिलान नही हो पा रहा है । इसलिए वाद–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त रकबा चक 13 एल के एस के खाता संख्या 51/45 के प0 नं0 15/287 मु0 नं0 38 किला नं0 18–19, 21 ता 23/1.265 हे0 व पं0 नं0 15/288 मु0 नं0 39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10/1.518 हे0 कुल तादादी 2.783 हे0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है । तथा वादीगण के नाम चक 13 एल के एस के खाता सं0 51/45 में 2.619 हे0 एवं प्रतिवादी नं0 6 ता 8 के नाम 0.100 हे0 व प्रतिवादी नं0 9 के नाम 0.020 हे0, एवं प्रतिवादी नं0 10 के नाम 0.044 हे0 रकबा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा । डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:14:32 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

आज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

1– सुखदेवसिह पुत्र श्री दर्शनसिह
2– सतनामसिह पुत्र श्री शमिन्द्रसिह
} अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

—— वादीगण

बनाम

1–नानूराम पि0मु0 बीरबल जाति ब्राहम्ण साकिन ढाबाझालार तहसील सूरतगढ
2–निरंजनसिह पुत्र श्री लालसिह
3–मुख्त्यारसिह पुत्र श्री लालसिह
4–तोतासिह पुत्र श्री लालसिंह
} अकवाम जटसिख साकिनान ढाबाझालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–सुरजा पुत्र श्री चौखा
6–धर्मदत पुत्र श्री मलू
7–नेतराम पुत्र श्री मलू
8–श्रीकृष्ण पुत्र श्री मलू
9–मु0 भीखी बेवा धन्ना
10–मु0 सावित्री बेवा मनीराम
} अकवाम ब्राहम्ण साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

11–शाखा प्रबन्धक महोदय आर एम जी बी बैक शाखा ढाबा झालार
12–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 140 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण राजाराम भादू , राजवीर भादू व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी आंशिक स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

चक 13 एल के एस के खाता संख्या 51/45 के प0 नं0 15/287 मु0 नं0 38 किला नं0 18–19, 21 ता 23/1.265 हे0 व पं0 नं0 15/288 मु0 नं0 39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10/1.518 हे0 कुल तादादी 2.783 हे0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है । तथा वादीगण के नाम चक 13 एल के एस के खाता सं0 51/45 में 2.619 हे0 एवं प्रतिवादी नं0 6 ता 8 के नाम 0.100 हे0 व प्रतिवादी नं0 9 के नाम 0.020 हे0, एवं प्रतिवादी नं0 10 के नाम 0.044 हे0 रकबा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27/10/2020 को जारी की गई ।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:14:32 IST
Reason: SelfAttested

सूरतगढ (श्रीगंगानगर)